## कर राजस्व

(₹ करोड़)

| कर राजस्व | | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2009-2010 | बजट 2010-2011 | संशोधित 2010-2011 | बजट 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.*** | ***निगम कर*** | | | | | |
| 1.01 | संग्रह | 0020 | 224144.88 | 273146.00 | 268640.00 | 333525.00 |
| 1.02 | अधिभार | 0020 | 9768.76 | 18437.00 | 18133.00 | 15009.00 |
| 1.03 | शिक्षा उपकर | 0020 | 7060.00 | 8748.00 | 8604.00 | 10456.00 |
| 1.04 | विविध प्राप्तियां | 0020 | 3751.43 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| *जोड़-निगम कर* | | | *244725.07* | *301331.00* | *296377.00* | *359990.00* |
| ***2.*** | ***आय पर कर*** | | | | | |
| 2.01 | संग्रह | 0021 | 115957.64 | 116302.00 | 136690.00 | 158981.00 |
| 2.02 | अधिभार | 0021 | 1501.82 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.03 | शिक्षा उपकर | 0021 | 4327.18 | 3714.00 | 4326.00 | 4995.00 |
| 2.04 | विविध प्राप्तियां | 0021 | 582.95 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2.05 | बैंक कारोबार कर (बीसीटीटी) | 0036 | 246.74 | ... | ... | ... |
| 2.06 | प्रतिभूति कारोबार कर | 0034 | 7394.17 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 2.07 | होटल प्राप्तियां कर | 0023 | 2.50 | ... | ... | ... |
| 2.08 | ब्याज कर | 0024 | 3.62 | ... | ... | ... |
| 2.09 | सीमान्त लाभ कर | 0026 | 2360.19 | ... | ... | ... |
| 2.10 | आय तथा व्यय पर अन्य कर | 0028 | -62.04 | ... | ... | ... |
| *जोड़-आय पर कर* | | | *132314.77* | *128066.00* | *149066.00* | *172026.00* |
| ***3.*** | ***धन कर*** | | | | | |
| 3.01 | संपदा शुल्क | 0031 | 0.23 | ... | ... | ... |
| 3.02 | धन पर कर | 0032 | 504.93 | 603.00 | 557.00 | 635.00 |
| 3.03 | उपहार कर | 0033 | 0.97 | ... | ... | ... |
| *जोड़-धन कर* | | | *506.13* | *603.00* | *557.00* | *635.00* |
| **4.** | **सीमाशुल्क** | | | | | |
| 4.01 | आयात शुल्क | | | | | |
| 4.01.01 | बुनियादी शुल्क | 0037 | 28946.71 | 49215.00 | 51025.00 | 59365.00 |
| 4.01.02 | सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) | 0037 | 32911.00 | 40720.00 | 51065.00 | 59235.00 |
| 4.01.03 | विशेष सीवी ड्यूटी | 0037 | 13607.00 | 17505.00 | 17455.00 | 20250.00 |
| 4.01.04 | मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी | 0037 | 66.00 | ... | 210.00 | ... |
| 4.01.05 | हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त ड्यूटी | 0037 | 370.00 | ... | 275.00 | ... |
| 4.01.06 | मोटर स्पिरिट पर कस्टम की विशेष अतिरिक्त ड्यूटी | 0037 | 197.00 | ... | 600.00 | ... |
| 4.01.07 | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 0037 | 850.00 | 960.00 | 1110.00 | 1280.00 |
| 4.01.08 | शिक्षा उपकर | 0037 | 1888.00 | 2210.00 | 2960.00 | 3400.00 |
| 4.01.09 | माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर | 0037 | 844.00 | 1110.00 | 1520.00 | 1745.00 |
| *जोड़-आयात शुल्क* | | | *79679.71* | *111720.00* | *126220.00* | *145275.00* |
| 4.02 | निर्यात शुल्क | 0037 | 1035.00 | 350.00 | 2280.00 | 2625.00 |
| 4.03 | निर्यात पर उपकर | 0037 | 81.00 | 65.00 | 170.00 | 195.00 |
| 4.04 | अन्य प्राप्तियां | 0037 | 2528.00 | 2865.00 | 3130.00 | 3605.00 |
| *जोड़-सीमाशुल्क* | | | *83323.71* | *115000.00* | *131800.00* | *151700.00* |
| ***5.*** | ***संघीय उत्पाद शुल्क*** | | | | | |
| 5.01 | मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उपकर हटाकर बुनियादी तथा विशेष उत्पाद शुल्क | 0038 | 61294.28 | 87722.00 | 89140.00 | 108443.00 |
| 5.02 | मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क | 0038 | 3978.00 | 3440.00 | 3300.00 | 3070.00 |
| 5.03 | हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त शुल्क | 0038 | 12613.00 | 11824.00 | 13300.00 | 14630.00 |
| 5.04 | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 0038 | 2512.00 | 2600.00 | 2790.00 | 3330.00 |
| 5.05 | मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क | 0038 | 9608.00 | 10800.00 | 10025.00 | 11975.00 |
| 5.06 | पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार | 0038 | 997.00 | 1085.00 | 1075.00 | 1285.00 |
| 5.07 | राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर | | | | | |
| 5.07.01 | शिक्षा उपकर | 0038 | 2403.00 | 2610.00 | 2910.00 | 3475.00 |
| 5.07.02 | माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर | 0038 | 1192.00 | 1305.00 | 1515.00 | 1810.00 |

(₹ करोड़)

| कर राजस्व | | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2009-2010 | बजट 2010-2011 | संशोधित 2010-2011 | बजट 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07.03 | अन्य | 0038 | 7596.00 | 9085.00 | 9245.00 | 11190.00 |
| *जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर* | | | *11191.00* | *13000.00* | *13670.00* | *16475.00* |
| 5.08 | अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर | | | | | |
| 5.08.01 | कोयला और कोक | 0038 | 505.86 | 579.38 | 545.00 | 575.00 |
| 5.08.02 | नमक | 0038 | 3.38 | 3.60 | 3.53 | 3.66 |
| 5.08.03 | रबर | 0038 | 98.43 | 123.75 | 110.00 | 110.00 |
| 5.08.04 | माइका | 0038 | 3.50 | 3.94 | 1.95 | 2.00 |
| 5.08.05 | लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क | 0038 | 10.72 | 28.13 | 13.29 | 12.00 |
| 5.08.06 | चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट | 0038 | 6.09 | 28.13 | 1.00 | 5.00 |
| 5.08.07 | सिने कामगर | 0038 | 1.29 | 2.81 | 1.25 | 1.50 |
| 5.08.08 | प्रदूषण (वायु तथा जल) नियंत्रण तथा रोकथाम | 0045 | 207.01 | ... | 250.00 | 250.00 |
| 5.08.08.01 | घटाइए - व्यय में से प्राप्तियां | 0045 | ... | ... | -250.00 | -250.00 |
| *निवल* | | | *207.01* | ... | ... | ... |
| 5.08.09 | अनुसंधान एवं विकास | 0045 | 418.22 | 485.78 | 510.00 | 561.00 |
| 5.08.10 | बीड़ी फण्ड | 0038 | 166.21 | 268.54 | 160.00 | 150.00 |
| 5.08.11 | अन्य लेखाओं के अन्तर्गत उपकर | 0045 | 4.62 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 5.08.12 | स्वच्छ ऊर्जा उपकर | 0038 | ... | ... | 3124.00 | 3480.00 |
| 5.08.13 | कपड़ा तथा कपड़ा मशीनरी पर उपकर संग्रह | 0038 | 2.61 | 0.44 | 2.50 | 2.50 |
| *निवल-अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रशासित उपकर* | | | *1427.94* | *1529.00* | *4477.52* | *4907.66* |
| *निवल - संघीय उत्पाद शुल्क* | | | *103621.22* | *132000.00* | *137777.52* | *164115.66* |
| ***6.*** | ***सेवा कर*** | | | | | |
| 6.01 | संग्रह | 0044 | 56720.50 | 66019.42 | 67378.64 | 79611.65 |
| 6.02 | शिक्षा उपकर | 0044 | 1134.41 | 1320.39 | 1347.57 | 1592.23 |
| 6.03 | माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर | 0044 | 567.20 | 660.19 | 673.79 | 796.12 |
| *जोड़-सेवा कर* | | | *58422.11* | *68000.00* | *69400.00* | *82000.00* |
| ***7.*** | ***वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क*** | | | | | |
| 7.01 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 0040 | 0.24 | ... | ... | ... |
| 7.02 | अन्य कर | 0045 | 0.27 | ... | ... | ... |
| *जोड़-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क* | | | *0.51* | ... | ... | ... |
| ***8.*** | ***संघ राज्य क्षेत्रों के कर*** | | | | | |
| 8.01 | भू-राजस्व | 0710 | 2.45 | 5.56 | 5.58 | 5.59 |
| 8.02 | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 0710 | 87.39 | 121.61 | 124.05 | 124.73 |
| 8.03 | राज्य उत्पाद शुल्क | 0710 | 221.37 | 206.80 | 262.00 | 271.00 |
| 8.04 | बिक्री कर | 0710 | 1171.08 | 1240.06 | 1428.81 | 1458.25 |
| 8.05 | वाहनों पर कर | 0710 | 60.01 | 46.95 | 59.15 | 75.69 |
| 8.06 | वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर | 0710 | 4.66 | 4.35 | 4.35 | 4.50 |
| 8.07 | विद्युत पर कर तथा शुल्क | 0710 | 13.22 | 14.20 | 14.20 | 15.00 |
| 8.08 | अन्य कर तथा शुल्क | 0710 | 53.53 | 11.47 | 12.25 | 18.46 |
| *जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर* | | | *1613.71* | *1651.00* | *1910.39* | *1973.22* |
| **जोड़ - राजस्व प्राप्तियां** | | | **624527.23** | **746651.00** | **786887.91** | **932439.88** |
| **9.** | **घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष को अंतरित एनसीसीडी** | 0021 | -3160.00 | -3560.00 | -3900.00 | -4525.00 |
| **10.** | **घटाइए - राज्यों का हिस्सा** | 0710 | -164831.56 | -208996.88 | -219302.81 | -263457.74 |
| ***कुल जोड़*** | | | ***456535.67*** | ***534094.12*** | ***563685.10*** | ***664457.14*** |

व्यापक श्रेणियों द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त उपर्युक्त विवरण वर्ष 2011-12 के लिए कर प्राप्तियों का अनुमान हैं। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों के प्रभाव भी शामिल हैं। इसके अलावा, बजट तथा संशोधित अनुमानों 2010-11 के बीच तथा सं. अ. 2011-11 और वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के बीच के अंतरों को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ-साथ खंड़ों तथा लेखा शीर्षों के जरिए अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जो 1.4.1996 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था, के अनुसार, अनुच्छेद 268 तथा 269 में संदर्भित शुल्कों तथा करों के सिवाय, संघीय सूची में निर्दिष्ट सभी करों अनुच्छेद 271 में संदर्भित करों तथा शुल्कों पर अधिभार, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए किसी भी उपकर को भारत सरकार द्वारा ही लगाया तथा वसूला जाएगा और उनका संवितरण संघ तथा राज्यों के बीच वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत तथा राष्ट्रपति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीकों से ही किया जाएगा। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद वर्ष 2010-2015 की अवधि के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच संवितरण के तौर-तरीकों को स्वीकर कर लिया गया है।

**1. निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2010-11 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 301331 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 296377 करोड़ रुपए है। 2011-12 का बजट अनुमान 359990 करोड़ रुपए है।

**2. आयकर :** यह कर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कम्पनियों के भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर शामिल है जो मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2010-2011 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 128066 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 149066 करोड़ रुपए है। 2011-12 के लिए बजट अनुमान 172026 करोड़ रुपए है।

**3. धन कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय कम्पनियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। 2010-2011 के धन कर का संशोधित अनुमान, 603 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 557 करोड़ रुपए है। 2011-2012 का बजट अनुमान 635 करोड़ रुपए है।

**4. सीमा शुल्क :** 2010-2011 के सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 115000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 131800 करोड़ रुपए है। 2011-2012 का बजट अनुमान 151700 करोड़ रुपए है।

**4.01.01 बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।

**4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर लेवी योग्य उत्पाद शुल्क के समतुल्य लेवी योग्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनबैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

**4.01.03 विशेष सीवी शुल्क :** सभी आयातित माल पर राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर आदि जैसे घरेलू करों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुल अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।

**4.01.04 मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

**4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

**4.01.06 मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता हैष

**4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगाया जाता था । यह कर मोटर कारों, आयातित बहु-उपयोगी वाहनों, पोलियस्टर फिलामेंट यार्न और दुपहियों पर भी उगाहा जाता था। बजट 2008-09 से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।

**4.01.08 शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

**4.01.09 माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय होता है।

**4.02 निर्यात शुल्क :** लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है।

**बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2010-11 और ब. अ. 2011-12 में क्रमशः 1164 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए के बकाया सीमा-शुल्कों का संग्रहण शामिल है।

**5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2010-2011 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 132000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 137777.52 करोड़ रुपए है। 2011-12 का बजट अनुमान 164115.66 करोड़ रुपए है।

**5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। 8 प्रतिशत से औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 1 रुपए बढ़ा दिया गया है।

**5.02 मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

**5.03 हाई स्वीड डीजल ऑयल पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्वीड डीजल ऑयल पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत उद्ग्रहणीय होता है। इसे समान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

**5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहु उपयोग वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया गया ।

**5.05 मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** यह वित्त विधेयक, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार :** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

**5.07.01 शिक्षा उपकर :** यह कुल उत्पाद शुल्कों के 2 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

**5.07.02 माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर :** यह कुल उत्पाद शुल्कों के 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

***बकाया संग्रहण :*** सं. अ. 2010-11 और ब.अ. 2011-12 में क्रमशः 1323 करोड़ रुपए और 1100 करोड़ रुपए की राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया संग्रहण शामिल है।

**5.08.12 स्वच्छ ऊर्जा उपकर :** वित्त विधेयक 2010 की धारा 83 के अन्तर्गत, यह भारत में उत्पादित कोयला, लिग्नाइट तथा पीट पर में 50 रुपए प्रतिटन की दर लगाया जाता है यह उपकर 01-07-2010 से प्रभावी है तथा इसे उत्पाद शुल्क के बतौर संग्रहित किया जाएगा।

**6. सेवा कर :** वर्ष 2010-11 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 68000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 69400 करोड़ रुपए है। 2011-12 के लिए बजट अनुमान 82000 करोड़ रुपए है। कुल सेवा कर पर शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर क्रमशः 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है। स.अ. 2010-11 और ब.अ. 2011-12 में क्रमशः 2013 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए की राशि के सेवाकर का बकाया संग्रहण शामिल है।

**8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर :** 2010-11 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के कर का संशोधित अनुमान 1910.39 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1651 करोड़ रुपए का है। 2011-12 के लिए बजट अनुमान 1973.22 करोड़ रुपए है।

**9. एनसीसीडी :** 2010-11 के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अन्तरित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के संशोधित अनुमान 3900 करोड़ रुपए हैं जबकि बजट अनुमान 3560 करोड़ रुपए था, 2011-12 हेतु बजट अनुमान 4525 करोड़ रुपए है।

**10. राज्यों का हिस्सा :** 2010-11 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का संशोधित अनुमान, 208996.88 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 219302.81 करोड़ रुपए है। 2011-2012 हेतु बजट अनुमान 263457.74 करोड़ रुपए है।

**कर राजस्व का बकाया :** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 (एफआरबीएम नियम) के नियम 6 के अनुपालन में, कर राजस्व सम्बन्धी प्रकटन विवरण दिखाया गया है परन्तु प्रमुख करों के सम्बन्ध जो अनुबन्ध 11 में दर्शित है, में उसे वसूल नहीं किया गया ।